संख्या-10/2016/589/49-3-2016-100(26)/2016

प्रेषक,

धीरेन्द्र प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
सहकारी न्यायाधिकरण,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक: 25अप्रैल, 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-18 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-01/सह0न्या0बजट/2016-17, दिनांक 04अप्रैल, 2016 के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016, के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग(सहकारिता) के " 2425-सहकारिता-001-निदेशन तथा प्रशासन,04-उ0प्र0सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण का गठन के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मदों के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 1,25,62,000/- (रूपये एक करोड़ पच्चीस लाख बासठ हजार मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :--

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आबंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियॉ यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाये, परन्तु स्वीकृत धनराशि के एक मुश्त आहरण की यथासम्भव अनुमति न दी जाये।

(4) कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746 /दस-2016-231/2016, दिनांक 22मार्च, 2016 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

----2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त शासनादेश दिनांक 22मार्च,2016 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ /सहायक लेखाधिकारी,(जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त-नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दे।

(6) आबंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 की प्रक्रिया एकमुश्त प्राविधान के मामलों में अपनायी जाये।

(8) मित्तव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) " 2425-सहकारिता-001-निदेशन तथा प्रशासन,04-उ0प्र0सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण का गठन के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मदों " के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22मार्च, 2016 में प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-10/2016/589(1)/49-3-2016-100(26)/2016,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
5- वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
6- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1,उ0प्र0शासन।
8- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0शासन।
9- सहकारिता अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राकेश प्रताप सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-10/2016/589(1)/49-3-2016-100(26)/2016, दिनांक 25अप्रैल,2016 का संलग्नक

लेखा शीर्षक	स्वीकृत धनराशि 2016-17 आयोजनागत	हजार रूपये में 2016-17 आयोजनेत्तर
04-उ0प्र0सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण का गठन		
01-वेतन	--	4333
03-मँहगाई भत्ता	--	5893
04-यात्रा भत्ता	--	30
06-अन्य भत्ते	--	500
07-मानदेय	--	5
08-कार्यालय व्यय	--	120
09-विदयुत देय	--	18
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	--	50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	--	200
13-टेलीफोन पर व्यय	--	100
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	--	150
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	--	250
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	--	293
45-अवकाश यात्रा व्यय	--	25
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफटवेयर का क्रय	--	75
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	--	150
49-चिकित्सा व्यय	--	400
51-वर्दी व्यय	--	20
योग-04	--	12562

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10/2016/
संख्या–589/49–3–2016–100(26)/2016

प्रेषक,

धीरेन्द्र प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक :: 25 अप्रैल, 2016,

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–18 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–01/सह0न्या0बजट/2016–17, दिनांक 04 अप्रैल, 2016 के संदर्भ में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी–1–746/दस– 2016–231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) 2425–सहकारिता, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण का गठन के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 1,25,62,000/– मात्र (रू0 एक करोड़ पच्चीस लाख बासठ हजार मात्र) को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिनके लिये स्वीकृति प्रदान की जा रही है तथा सक्षम प्राधिकारी/शासन की स्वीकृति के बिना उसे अन्य मदों पर कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।

(2) इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा व्यय के स्थायी आदेशो के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, ऐसे मामलों में व्यय करने की पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(3) विभिन्न योजनाओं और सेवाओं की वित्तीय स्वीकृतियां यथा सम्भव एक बार में ही जारी की जाये, परन्तु स्वीकृत धनराशि के एकमुश्त आहरण की यथासंभव अनुमति न दी जाये।

(4) कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी–1–746/दस–2016–231 /2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रदत्त निर्देशों का कड़ाई पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

.....2/

(5) उक्त शासनादेश दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी, (जैसी भी स्थिति हो) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि वह सम्पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन को तुरन्त दे।

(6) आवंटन के सापेक्ष व्यय विवरण की मासिक सूचनायें वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(7) बजट मैनुअल प्रस्तर–94 की प्रकिया एकमुश्त प्राविधान के मामलों में अपनायी जाये।

(8) मितव्ययिता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुदान संख्या–18 कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) "2425–सहकारिता, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण का गठन के अंतर्गत आयोजनेत्तर मदों" के अंतर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

3– उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2016/बी–1–746/दस– 2016–231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

10/2016/
संख्या–589/49–3–2006–100(26)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा–परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ।
5– वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबंधक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
7– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
8– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उ0प्र0 शासन।
9– सहकारिता अनुभाग–1.
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–589/49–3–2016–100(26)/2016, दिनांक :: अप्रैल, 2016 का संलग्नक

लेखा शीर्षक		स्वीकृत धनराशि (हजार रूपये में) 2016–17 आयोजनेत्तर पक्ष
04–उ0प्र0 सहकारी अधिनियम के अर्न्तगत न्यायाधिकरण का गठन		
01–	वेतन	4333
03–	मंहगाई भत्ता	5893
04–	यात्रा व्यय	30
06–	अन्य भत्ते	500
07–	मानदेय	5
08–	कार्यालय व्यय	120
09–	विद्युत देय	18
11–	लेखन सामग्री एंव फार्मो की छपाई	50
12–	कार्यालय फर्नीचर एंव उपकरण	200
13–	टेलीफोन व्यय	100
15–	गाडियों का अनुरक्षण एंव पेट्राल आदि की खरीद	150
16–	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	250
17–	किराया उपशुल्क एंव करस्वामित्व	293
45–	अवकाश यात्रा व्यय	25
46–	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	100
47–	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	75
49–	चिकित्सा व्यय	400
51–	वर्दी व्यय	20
कुल योग–		12562

(धीरेन्द्र प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।